न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) ,सीकर

उनवान दयाल सिंह बनाम सुधार कंवर आदि

किस्म मुकदमा.....प्रार्थना पत्र.....मुकदमा नं..... 23/2014

दिनांक	आज्ञा पत्र	
06.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फॅर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की ग्राम अलोखू तहसील धोद पैतृक कृषि भूमि अवस्थित है। ग्राम अलोखू तहसील धोद विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 725, 728, 729, 732 व 734 कुल किता 5 कुल रकबा 6.7000 है0 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की पैतृक कृषि भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 प्रार्थी के पिता के भाई बस्सुसिह के वारिसान व 1/2 हिस्से के सहखातेदार है। वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 एवं 185 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. बालसिह की क्रय की हुई कृषि आराजी है जिसमे बालसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का बराबर बराबर हिस्सा खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिये थी जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम सहवन से खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने, प्रार्थी की कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधा डालने, बिना विभाजन करवाये किसी भी प्रकार का अन्तरण व बेचान करने तथा अप्रार्थी संख्या 5 उक्त कृषि आराजी का किसी प्रकार का कोई अन्तरण प्रलेख, रहननामा, विक्रय पत्र पंजीकृत व बिना माननीय न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नही करने हेतु पांबद करने का अनुतोष चाहा गया था। वकील अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 82 व 185 के क्रय के संबंध मे दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादिन कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. बालसिंह की क्रय की हुई कृषि आराजी है इसलिए खसरा नम्बर 82 व 185 को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त रखा जाना प्रार्थनीय है। वकील प्रार्थी आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के निस्तारण पर वकील उभयपक्ष सीधी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सारभूत तथ्यो से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 11.03.2014 द्वारा कृषि भूमि ख0नं0 725, 728, 729, 732, 734, 121, 724, 82, 185 कुल किता 9 कुल रकबा 13.8700है0 वाके ग्राम अलोखू तहसील धोद जिला सीकर का विक्रय एवं अन्तरण नही करने के सबध में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंध किया गया था। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1ता 2 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमियां वाके ग्राम अनोखू पटवार हल्का अनोखू तहसील धोद में अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी को वादग्रस्त भूमियो के मनचाहे हिस्से कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने, प्रार्थी की कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधा डालने, बिना विभाजन करवाये किसी भी प्रकार का अन्तरण व बेचान करने तथा विवादित आराजी का किसी प्रकार का कोई अन्तरण प्रलेख, रहननामा, विक्रय पत्र पंजीकृत व राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन करने तथा अपनी कुचेष्टाओं में कामयाब हो गए तो प्रार्थी के विधित अधिकारो पर कुठाराघात होकर अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना संभव नही हो पायेगा। इस प्रकार से प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एव अपूरणीय क्षति का प्रार्थी के पक्ष में सावित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक वाके ग्राम अनोखू पटवार हल्का अनोखू तहसील धोद में अवस्थित विवादित कृषि भूमि ख0नं0 725, 728, 729, 732, 734, 121, 724, 82, 185 कुल किता 9 कुल रकबा 13.8700है0 का का विक्रय एवं अन्तरण नही करने के संबध मे पांबध किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर यह फैसला दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	